

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़

संख्या ५६६

दिनांक १५-६-१३

प्रबन्धक,

विद्या पार्वतीक स्कूल, सपनावत, हापुड़

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

प्रिय महोदय, / महादेवा,

आपके दिनांक ३०.१०.१२ के आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय से पश्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं विद्या पार्वतीक स्कूल, सपनावत हापुड़ (अम्बेड़ीमाध्यम) को तारीख १५-६-१३ से तारीख १५-६-१६ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा ८ से कक्षा ०८ तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संस्थाना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपबंध २) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा ०१ में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में,) उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५% प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा - विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीमिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का संबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(पांच) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(छ.) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३ (१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(सात) अध्यापक अधिनियम की धारा २४(१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(आठ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगे।